



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ५, अंक ३२]

शुक्रवार, ऑक्टोबर १८, २०१३/आश्विन २६, शके १९३५

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १३.००

असाधारण क्रमांक ५९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकान्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हावंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अब्र, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३

अधिसूचना

क्रमांक जीवका. १५११/४४९/प्र. क्र. ४७/नापु २३.—भारत सरकार, ग्राहक बाबी, अब्र व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्राहक बाबी विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडून असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उपखंड (ii) मध्ये दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे :—

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, दिनांकित 27 सितम्बर 2013

का. आ. 2927 (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2013 है।

(2) यह 1 अक्टूबर 2013 से प्रवृत्त होगा।

(१)

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 654 (अ), तारीख 30 मार्च 2011, द्वारा खंड 7 में यथा अंतःस्थापित उपखण्ड (1) में मद संख्या (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिए दालों, खाद्य तेल और खाद्य तिलहन को ;” ।

[फा. सं. 10/1/2006-ई सी आर एण्ड ई]

डॉ. के. जी. राधाकृष्णन,
आर्थिक सलाहकार ।

टिप्पणी—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में सा. का. नि. संख्यांक 104 (अ), तारीख 15 फरवरी 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 490 (अ), तारीख 16 जून 2003; का.आ. 1373 (अ), तारीख 29 अगस्त 2006; का.आ. 297 (अ), तारीख 27 फरवरी 2007; का.आ. 1488 (अ), तारीख 31 अगस्त 2007; का.आ. 400 (अ), तारीख 28 फरवरी 2008; का.आ. 823 (अ), तारीख 7 अप्रैल 2008; का.आ. 2117 (अ), तारीख 27 अगस्त 2008; का.आ. 2247 (अ), तारीख 22 सितम्बर 2008; का.आ. 2248 (अ), तारीख 22 सितम्बर 2008; का.आ. 2249 (अ), तारीख 22 सितम्बर 2008; का.आ. 649 (अ), तारीख 9 मार्च 2009; का.आ. 880 (अ), तारीख 30 मार्च 2009; का.आ. 950 (अ), तारीख 2 अप्रैल 2009; का.आ. 906 (अ), तारीख 2 अप्रैल 2009; का.आ. 1621 (अ), तारीख 2 जुलाई 2009; का.आ. 2461 (अ), तारीख 25 सितम्बर 2009; का.आ. 3249 (अ), तारीख 18 दिसम्बर 2009; का.आ. 2361 (अ), तारीख 29 सितम्बर 2010; और का.आ. 3060 (अ), तारीख 30 दिसम्बर 2010; का.आ. 654 (अ), तारीख 30 मार्च 2011; का.आ. 2227 (अ), तारीख 27 सितम्बर 2011; का.आ. 2447 (अ), तारीख 28 अक्टूबर 2011; का.आ. 2716 (अ), तारीख 29 नवम्बर 2011; और का.आ. 2320 (अ), तारीख 27 सितम्बर 2012 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, dated the 27th September 2013

ORDER

S.O. 2927 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2013.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 2013.

2. In the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, in clause 7 as inserted by notification of the Government of India with Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, published in the *Gazette of India*, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Number S. O. 654 (E), dated the 30th March 2011, in sub-clause (1), for item (i) the following item shall be substituted, namely :—

“(i) pulses, edible oils and edible oilseeds for a period up to 30th September 2014;”

[F. No. 10/1/2006-ECR & E]

DR. K. G. RADHAKRISHNAN,
Economic Advisor.

Note.—The principal order was published in the *Gazette of India*, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Number G.S.R. 104(E), dated the 15th February 2002 and subsequently amended by Numbers G.S.R. 490(E), dated the 16th June 2003; S.O. 1373(E), dated the 29th August 2006; S.O. 297(E), dated the 27th February 2007; and S.O. 1488(E), dated the 31st August 2007; S.O. 400(E), dated the 28th February 2008; S.O. 823(E), dated the 7th April 2008; S.O. 2117(E), dated the 27th August 2008; S.O. 2118(E), dated the 27th August 2008; S.O. 2247(E), dated the 22nd September 2008; S.O. 2248(E), dated the 22nd September 2008; S.O. 2249(E), dated the 22nd September 2008; S.O. 649(E), dated the 9th March 2009; S.O. 880(E), dated the 30th March 2009; S.O. 905(E), dated the 2nd April 2009; S.O. 906(E), dated the 2nd April 2009; S.O. 1621(E), dated the 2nd July 2009; S.O. 2461(E), dated the 25th September 2009; S.O. 3249(E), dated the 18th December 2009; S.O. 2361(E), dated the 29th September 2010; S.O. 3060(E), dated the 30th December 2010; S.O. 654(E), dated the 30th March 2011; S.O. 2227(E), dated the 27th September 2011; S.O. 2447(E), dated the 28th October 2011; S.O. 2716(E), dated the 29th November 2011 and S.O. 2320(E), dated the 27th September 2012.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

बा. बा. नारायणकर,
शासनाचे उप सचिव.